[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 4/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी, 2018

सा.का.नि. ..... (अ)- जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्याततित तथा भारत में आयातित "सिरामिक टेबल वेयर और किचन वेयर, छुरी कांटे और टायलेट आइटम को छोड़कर" (एतश्मिन पश्चात जिन्हें 'विषयगत वस्तु' से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 6911, 6912 के अंतर्गत आती हैं, के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने प्राथमिक निष्कर्ष में, जिसे अधिसूचना संख्या 14/05/2016-डीजीएडी, दिनांक 04 मई, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाने की सिफारिश की है;

और जहां कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने उक्त विषयगत वस्तु पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 27/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 12 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 576 (अ) दिनांक 12 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था । के तहत अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया है;

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 14/05/2016-डीजीएडी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2017, जिसे दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचा है कि -

i. विचारार्थ उत्पाद का विषयगत देश से भारत में आयात किया गया है ।
ii. इससे घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है ।
iii. यह सारवान क्षति विषयगत देश से विषयगत वस्तु के फालतू आयात के कारण हुई है ।

और उन्होंने घरेलू उद्योग को होने वाली इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत वस्तु, जो कि विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्याततित है और भारत में आयातित है, के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट अधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन शीर्ष के अंतर्गत आती हैं जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट हैं, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित हैं, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों के द्वारा उत्पादित हैं, उस समय जब कॉलम (6) में दी गई तत्संबंधी में विनिर्दिष्ट देश से और कॉलम (8) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक के द्वारा उनका निर्यात किया गया हो और भारत में आयात किया गया हो, कॉलम (9) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से और कॉलम 10 में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	शीर्ष	*वस्तु का विवरण	विनिर्दिष्टि	मूलत: उत्पाद का देश	निर्यातकर्ता देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि (अमेरिकी डालर)	यूओएम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	6911 और 6912	सिरामिक टेबल वेयर्स और किचन वेयर्स	कोई भी	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	1.04	किलोग्राम
2	6911 और 6912	सिरामिक टेबल वेयर्स और किचन वेयर्स	कोई भी	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	कोई भी	1.04	किलोग्राम
3	6911 और 6912	सिरामिक टेबल वेयर्स और किचन वेयर्स	कोई भी	कोई भी	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	1.04	किलोग्राम

*विचारार्थ उत्पाद का विवरण "सिरामिक टेबल वेयर्स और किचन वेयर्स, छुरी-कांटे और टायलेट आइटम्स को छोड़कर" के रूप में है । बोन चाइना, स्टोन वेयर और पोर्सलीन वेयर, ये सभी सिरामिक उत्पाद माने जाते हैं ।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के लगाए जाने की तारीख अर्थात 12 जून, 2017 से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

बशर्ते कि उक्त प्रतिपाटन शुल्क की वसूली अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के व्यपगत होने की तारीख अर्थात 11 दिसंबर, 2017 से लेकर इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पहले तक नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

(फाइल संख्या 354/91/2017-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार